

उत्तराखण्ड शासन

सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-02

संख्या: /XXXI(2)/2025-08(02)विविध / 2025

देहरादून: दिनांक 19 नवम्बर, 2025

कार्यालय ज्ञाप

"वार्षिक स्थानान्तरण नीति-2025" के प्रस्तर-02(02) में उल्लिखित प्राविधानुसार "वार्षिक स्थानान्तरण" हेतु गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित सहायक समीक्षा अधिकारियों को तालिका के कॉलम-03 से कॉलम-04 में अंकित अनुभागों में तात्कालिक प्रभाव से, स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री / श्रीमती / सुश्री)	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल
01	02	03	04
01	अर्जुन सिंह बोहरा	ग्रामीण निर्माण अनुभाग	भाषा अनुभाग
02	संजय कोटवाल	कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग-03	उच्च शिक्षा अनुभाग -03
03	सुरेन्द्र सिंह रावत	राजस्व अनुभाग-03	पशुपालन अनुभाग-01
04	मोहित कुमार	गृह अनुभाग-02	वित्त अनुभाग-09
05	पूजा	उच्च शिक्षा अनुभाग-03	गृह अनुभाग-01
06	संजय शम्भू	सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-01	कौशल विकास अनुभाग
07	रोहित पंत	सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-02	पेयजल अनुभाग-02
08	गीता भट्ट	सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-02	राज्य सम्पत्ति अनुभाग-03
09	प्रमोद कुमार	व्यवस्थाधिकारी कार्यालय	खाद्य अनुभाग-02
10	सुशील कुमार	सचिवालय प्रशासन (विधि०) अनुभाग-02	मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-01
11	जानकी रावत	सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग-03	पशुपालन अनुभाग-02
12	राजेन्द्र बुटोला	मुख्य सचिव कार्यालय	वित्त अनुभाग-01

He

13	प्रकाश लाल	मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-01	गृह अनुभाग-02
14	मनीषा	शहरी विकास अनुभाग-01	सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-03
15	लालमणी जोशी	खाद्य अनुभाग-02	गृह अनुभाग-07

2- उक्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश निर्गम होने के 03 कार्य-दिवसों में नवीन तैनाती अनुभाग में योगदान प्रस्तुत कर योगदान आख्या सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-02 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयान्तर्गत योगदान प्रस्तुत नहीं करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्मिक का होगा।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्या: 1984 /XXXI(2)/2025-08(02)विविध / 2025, तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आहरण वितरण अधिकारी/संयुक्त सचिव, सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग-07, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि आदेश निर्गम के होने के 03 कार्य-दिवसों में नवीन तैनाती अनुभाग में योगदान प्रस्तुत नहीं करने वाले कार्मिकों के वेतन आहरण पर रोक लगाने का कष्ट करें।
- 2- अनुभाग अधिकारी, सम्बन्धित अनुभाग (तालिका के कॉलम-04 के अनुसार) उत्तराखण्ड शासन।
- 3- अनुभाग अधिकारी, सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सम्बन्धित कार्मिक/व्यक्तिगत पत्रावली।
- 5- गार्ड फाइल।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।